

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मावली जिला उदयपुर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
 पीठासीन अधिकारी श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S.
 मुकदमा नम्बर : 699/13 (वादा)

केम्प - साकरोदा

1. श्री जगदीशचन्द्र पिता देवकिशन शर्मा निवासी फतहनगर वाई न. 1 तह. मावली।

बनाम

वादी

1. श्री रामा मुतबन्ना उंकार जाट निवासी भावली तह. मावली।
2. श्री अमरचन्द्र पिता जेता जाट निवासी भावली तह. मावली।
3. श्री भेरा पिता जेता जाट निवासी भावली तह. मावली।
4. श्रीमती चांदीबाई पत्नी मांगीलाल जाट निवासी भावली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गीता पत्नी रतनलाल 1/4 रतनलाल पिता हुक्मीचन्द्र 1/4 जाट निवासी पिपलिया तह. मावली भेरा अमरचन्द्र पिता जेता 1/2 जाट सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा मावली हिस्सा गीता एवं रतनलाल का रहन एसबीबीजे शाखा मावली हिस्सा भेरा पिता जेता का रहन एमएजीबी शाखा मावली हिस्सा अमरचन्द्र पिता जेता का	699 700 856/1	2.12 4.00 10.00	बीड 0.08 बा.प्र. 2.04 बंजड बीड	0.20 1.98 1.20 5.00
	योग	किता 3	16.12	-	8.38
2	जगदीशचन्द्र पिता देवकिशन शर्मा ब्राह्मण सा. फतहनगर रहन पीएनबी शाखा फतहनगर	856 मी.	8.07	बीड	4.18
	योग	किता 1	8.07	-	4.18

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(जितेन्द्र ओझा)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 (S.D.O.) मावली
 पदेन सहायक कलेक्टर मावली